महत्वपूर्ण

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्याः 688/सी0ई0ओ0–3–30/3–2018 लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर, 2021

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 के संदर्भ में ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट की फर्स्ट लेविल चेकिंग(एफ0एल0सी0) में विशेष ध्यान देने तथा आयोग के निर्देशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–673/सीईओ–3–30/3–2018, दिनांक–10.09.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रदेश के 10 जनपदों को सम्बोधित एवं अन्य के साथ आपको भी पृष्ठांकित है।

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि आयोग के निर्देशानुसार जनपदों में ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट की एफ0एल0सी0 शीघ्रतिशीघ्र प्रारम्भ की जानी है। इस संबंध में निर्माता फर्मो यथा बी0ई0एल0, बैंगलोर एवं ई0सी0आई0एल0, हैदराबाद से एफ0एल0सी0 का शेड्यूल प्राप्त कर शीघ्र आपको प्रेषित किया जायेगा।

3– प्रकल्पित है कि 10 जनपदों यथा झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, उन्नाव, अमरोहा, रामपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर तथा मऊ में दिनांक–15.09.2021 से ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट की एफ0एल0सी0 प्रारम्भ किये जाने का शेड्यूल उपलब्ध कराया गया है, जिसकी रैण्डमाइज सूची उक्त 10 जिलों को दिनांक–11.09.2021 को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

4– उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या–51/8/16/4/2017-EMS, दिनांक– 30.08.2017 द्वारा ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट की फर्स्ट लेविल चेकिंग का कार्यक्रम तैयार करने, फर्स्ट लेविल चेकिंग के दौरान की जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं, ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट की फर्स्ट लेविल चेकिंग के दौरान सुरक्षा उपाय, फर्स्ट लेविल चेकिंग के स्टेटस को ई0एम0एस0 साफ्टवेयर पर रिकार्ड करना इत्यादि के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये गये है, जिसे इस कार्यालय के पत्र संख्या–1600/सीईओ–3– 96/3–2017, दिनांक–01.09.2017 एवं पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या–673/सीईओ–3– 30/3–2018, दिनांक–10.09.2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

5– आयोग के उक्त निर्देश दिनांक–30.08.2017 के प्रस्तर–3 में निम्न निर्देश उल्लिखित है :–

3.1 The schedule for FLC shall be communicated to every national and state level recognized political party at the district headquarters under intimation to the parties at State headquarters, in writing by the DEO at least one weak before the begining of the FLC in the district.

3.2 On the day of the FLC, representatives of all national and state level recognized political parties authorized by the District President of the party shall be encourged to be present.

3.3 A register shall be kept at FLC hall by the DEO in **Annexure-1** in which signatures of all political parties shall be taken every day as token of their presence.

तद्नुसार अनुरोध है कि कृपया जनपद स्तर पर ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट की एफ0एल0सी0 प्रारम्भ किये जाने के संबंध में आयोग के विद्यमान निर्देशों के साथ–साथ उपरोक्त प्रस्तर–5 में उल्लिखित आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। कृपया कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।